दस दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान

अजमेर (कास)। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग के निर्देशानुसार मिशन शक्ति योजना संकल्प हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमन के तहत दस दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान शुक्रवार 12 सितम्बर तक संचालित होगा। इसके अन्तर्गत मंगलवार को जिला स्तर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम महिला जन अधिकार समिति के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के महिला अधिकारिता विभाग की उप निदेशक मेघा रतन ने कहा कि सरकार महिलाओं के प्रति बहुत ही संवेदनशील है एवं सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी विशेषकर महिला उत्थान से संबंधित महिलाओं को होनी आवश्यक है ताकि महिलाओं में स्वरोजगार की भावना विकसित होकर आत्मनिर्भर बन सके।

उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत महिलाओं एंव बालिकाओं में कौशल विकास तथा जन जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।

उत्तर पश्चिम रेलवे

निविदा सूचना

No. XEN/WS/AII/E-Tender/10/2025-26 dated : 08.09.2025

निम्नलिखित कार्य/कार्यों हेतु उप मुख्य इंजीनियर (कारखाना) लोको अजमेर के कार्यालय से ई निविदा आमंत्रित की जा रही हैं। 1. निविदा सं.: 10– वर्कशाप – अजमेर–2025–26 कार्य का नाम : इम्प्रूवमेन्ट इन वेगन मेंटेनेन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर एट अजमेर डीजल लोको एण्ड वेगन वर्कशाप एण्ड अपग्रेडेशन आफ मेंटेनेन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटीज आफ वेगन रिपेयर शॉप एट लोको वर्कशाप अजमेर। अनुमानित लागत : रू. 68058063.39 धरोहर राशि / बिड सिक्यूरिटी : रू. 490300.00/– निविदा की अतिंम तिथी : 30.09.2025 को 15.00 बजे तक उपरोक्त ई निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी रेलवे की वैबसाइट www.ireps.gov.in पर तथा इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध हैं। 1134-CR/25

हमें /NWRailways /NWRailways_ पर फॉलो करें

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों के पक्ष में संयुक्त नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

-आम सूचना-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की कोटड़ा आवासीय योजना के आवासीय भूखण्ड 1123, क्षेत्रफल 90.00 वर्ग मीटर की आवंटी श्रीमती भंवरी जैन पुत्री श्री लक्ष्मी नारायण जैन, निवासी 11/18, सर्वधर्म मन्दिर के पीछे, वैशाली नगर, अजमेर की मृत्यु दिनांक 06-09-2022 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वसीयतनामा (नोटरी दिनांक 03-09-2017) संलग्न कर मृतक द्वारा निष्पादित वसीयतनामे के आधार पर नामान्तरण हेतु श्री नवीन कुमार गोखरू पुत्र श्री पारस कुमार जैन, निवासी 127-ए, पार्श्वनाथ कॉलोनी, आनासागर सर्क्युलर रोड, अजमेर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किए जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज कराएं। उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नही होगी व आवेदक के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी। - योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों के पक्ष में संयुक्त नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

-आम सूचना-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की जे.पी. नगर योजना के आवासीय/भूखण्ड संख्या 45 क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर के आवंटी/अन्तरिति श्रीमती शान्ति देवी गोठवाल पत्नि स्व. कन्हैयालाल गोठवाल निवासी अजमेर की मृत्यु दिनांक 11/1/2022 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपोर्ट संलग्न कर मृतक के वारिसों क्रमशः 1. श्रीमती रीना खालसा पुत्री स्व. कन्हैयालाल गोठवाल पत्नि जगदीप सिंह खालसा(पूना) 2. धीरज गोठवाल 3. नीरज गोठवाल पुत्रगण स्व. कन्हैयालाल गोठवाल निवासी न्यू दिल्ली द्वारा नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त नामान्तरण किए जाने के संबंध में किसी को आपति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज कराएं। उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नही होगी व आवेदक के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी। - योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय नगर निगम अजमेर

क्रमांक :न.नि.अ/भवन/25-26/271 आपत्ति सूचना दिनांक : 8.9.25

सैयद मोहम्मद जकरिया पुत्र स्व. श्री सैयद मोहम्मद याहया निवासी जकरिया मंजिल कमानी गेट के पास दरगाह शरीफ अजमेर द्वारा एक सम्पति ए.एम.सी. नं. 9/902 4/65 42/66 एवं ए.एम.सी. नं. 9/903 4/559 व जायदाद ए.एम.सी. नं 9/904 4/560 42/67 एवं ए.एम.सी नं. 561/4 56/42 स्थित धोबी गली त्रिपोलिया गेट के पास कमानी गेट दरगाह शरीफ अजमेर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 120.76 व.मी. है। भूमि के वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाऐं निम्नानुसार है।

पूर्व : अन्य की सम्पति पश्चिम : रोड व चौक

उत्तर : 1.42 मीटर चौड़ा रोड दक्षिण : 1.14 मीटर चौड़ा रोड है

अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति / संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता हैं। बाद मियाद किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

-उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ़ जिला-अजमेर (राज.)

क्रमांक :नपकि/PWC/BPAS-2454/2025/677 आम सूचना दिनांक-08-09-2025

सर्व साधारण सूचित किया जाता है कि 1. श्री अमित कानाराम चौधरी पुत्र स्व0 श्री कानाराम माधुराम चौधरी 2. श्रीमती मैना चौधरी पत्नी श्री अमित चौधरी राजस्व ग्राम सावंतसर, खसरा सं. 580/4 भूखण्ड सं. 05-बी के कुल क्षेत्रफल 157.08 वर्गगज अशोक विहार आर्जव होटल के सामने, जयपुर रोड मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में आवासीय निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड की सीमाएं निम्नानुसार है -

पूर्व : भूखण्ड सं. 06 पश्चिम : भूखण्ड सं. 05 में से विखण्डित शेष भाग पर निर्मित परिसर

उत्तर : जयपुर-अजमेर रोड दक्षिण : खुली भूमि उसके बाद भूखण्ड सं. 11

अतः उक्त प्रकरण में किसी भी व्यक्ति / संस्था को आपत्ति / एतराज हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर नगर परिषद कार्यालय में लिखित में आपत्ति पेश करे बाद मियाद किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी। -प्रभारी,(भवन निर्माण स्वीकृति) नगर परिषद, किशनगढ़

कार्यालय नगर परिषद् किशनगढ़ (अजमेर) राजस्थान

क्रमांक : न.प.कि/कृषि भूमि नियमन /2025/1444 लोक सूचना दिनांक : 05/9/25

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद किशनगढ़ में राजस्व ग्राम सांवतसर के खसरा 329/3 का भूखण्ड संख्या...... का कुल क्षेत्रफल 0.0809 हैक्टेयर औद्योगिक प्रयोजनार्थ पट्टा चाहनें हेतु कृषि भूमि नियमन के तहत् आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदित भूखण्डे नियमन में संबंधित किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपति होतो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय को लिखित मे आपतियां/मय साक्ष्य/विवरण सहित कार्यालय समय में दर्ज करावें।

क. सं.	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नं व क्षेत्रफल	प्रस्तावित कृषि भूमि नियमन
1.	श्री अशोक मेहता पुत्र श्री कालू सिंह मेहता निवासी मित्र निवास कॉलोनी मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर।	सांवतसर 329/3 0.0809 हैक्टेयर	औद्योगिक प्रयोजना पट्टा चाहनें हेतु

आयुक्त,नगर परिषद, किशनगढ़।

कार्यालय नगर परिषद् किशनगढ़ (अजमेर) राजस्थान

क्रमांक : न.प.कि/कृषि भूमि नियमन /2025/1427 लोक सूचना दिनांक : 04/9/25

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मगर परिषद किशनगढ़ में राजस्व ग्राम मदनगंज के खसरा 252 में भूखण्ड संख्या......का कुल क्षेत्रफल 183.33 वर्गगज का आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा चाहनें हेतु कृषि भूमि नियमन के तहत् आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदित भूखण्ड नियमन में संबंधित किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपति होतो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय को लिखित में आपतियां/मय साक्ष्य/विवरण सहित कार्यालय समय में दर्ज करावें।

क. सं.	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नं व क्षेत्रफल	प्रस्तावित कृषि भूमि नियमन
1.	श्री नीलकण्ठेश्वर महादेव मन्दिर पता ब्रज विहार कॉलोनी मालियों की ढाणी वार्ड नं. 14 मदनगंज किशनगढ़।	मदनगंज खसरा 252 183.33 वर्गगज	आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा चाहनें हेतु

आयुक्त,नगर परिषद, किशनगढ़।

कार्यालय नगर परिषद् किशनगढ़ (अजमेर) राजस्थान

क्रमांक : न.प.कि/कृषि भूमि नियमन /2025/1481 लोक सूचना दिनांक : 09/9/25

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद किशनगढ़ में राजस्व ग्राम जाटली के खसरा 906 का भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 637.69 वर्गगज औद्योगिक रूपान्तरित से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पट्टा चाहनें हेतु कृषि भूमि नियमन के तहत् आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदित भूखण्डे नियमन में संबंधित किसी व्यक्ति /संस्था को कोई आपति होतो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय को लिखित मे आपतियां /मय साक्ष्य /विवरण सहित कार्यालय समय में दर्ज करावें।

क. सं.	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नं व क्षेत्रफल	प्रस्तावित कृषि भूमि नियमन
1.	श्री महेश कुमार जैन पुत्र श्री ग्यारसी लाल जैन निवासी आर डी मित्तल हॉस्पीटल पुरानी मिल चौराह मदनगंज किशनगढ	जाटली खसरा 906 637.69 वर्गगज	औद्योगिक रूपान्तरित से वणिज्यिक प्रयोजना पट्टा चाहनें हेतु

आयुक्त,नगर परिषद, किशनगढ़।

कार्यालय नगर परिषद् किशनगढ़ (अजमेर) राजस्थान

क्रमांक : न.प.कि/कृषि भूमि नियमन /2025/1487 लोक सूचना दिनांक : 09/9/25

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद किशनगढ़ में राजस्व ग्राम जाटली के खसरा 906 का भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 1031.28 वर्गगज औद्योगिक रूपान्तरित से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पट्टा चाहनें हेतु कृषि भूमि नियमन के तहत् आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदित भूखण्डे नियमन में संबंधित किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपति होतो इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में इस कार्यालय को लिखित मे आपतियां/मय साक्ष्य /विवरण सहित कार्यालय समय में दर्ज करावें।

क. सं.	प्रार्थी का नाम	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नं व क्षेत्रफल	प्रस्तावित कृषि भूमि नियमन
1.	श्री महेश कुमार जैन पुत्र श्री ग्यारसी लाल जैन निवासी आर डी मित्तल हॉस्पीटल पुरानी मिल चौराह मदनगंज किशनगढ	जाटली खसरा 906 1031.28 वर्गगज	औद्योगिक रूपान्तरित से वणिज्यिक प्रयोजना पट्टा चाहनें हेतु

आयुक्त,नगर परिषद, किशनगढ़।

कार्यालय ग्राम पंचायत सिरोंज पंचायत समिति अंराई, जिला अजमेर

क्रमांक : ग्रा.पं.सिरोंज/निविदा/2025-26/104 दिनांक : 09/9/2025

खुली निविदा सूचना-04/2025-26

ग्राम पंचायत सिरोंज वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्राम पंचायत सिरोंज में स्थित सार्वजनिक पार्क में ओपन जिम स्थापना कार्य हेतु Original Equipment Manufacturer/Authorised Delar/Sub-Delar पंजीकृत फर्मो से खुली निविदा आमंत्रित की जाती है-

विस्तृत विवरण http://sppp.rajasthan.gov.in देखा जा सकता है।

NIB NO- ZAJ2526A1131 UBN NO- ZAJ2526GSOB01213

प्रशासक / ग्राम पंचायत सिरोंज / पं.स. अंराई(अजमेर)

ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम पंचायत सिरोंज / पं.स. अंराई(अजमेर)

कुलगुरु ने की पहल - उपस्थिति पंजिका में करेंगे हस्ताक्षर

- विश्वविद्यालय की प्रशासनिक एवं शैक्षणिक व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी एवं अनुशासित बनाने के लिए नई पहल की है।
- निरीक्षण के दौरान उन्होंने खाद्य पदार्थों की एक्सपायरी डेट की जांच की तथा छात्रों से कैंटीन की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली

अजमेर(कासं)। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के कुलपति प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने विश्वविद्यालय की प्रशासनिक एवं शैक्षणिक व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी एवं अनुशासित बनाने के लिए नई पहल की है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक एवं अधिकारी कार्यालय समय पर नियमित रूप से उपस्थित होकर निर्धारित समय पर उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करें। साथ ही, यदि कोई शिक्षक अथवा अधिकारी अवकाश पर हो तो उनके अवकाश प्रार्थना पत्र में अनिवार्य रूप से उस शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी का नाम अंकित किया जाए जो उनके अवकाश के दौरान संबंधित कार्य की जिम्मेदारी देखेगा।

प्रो. अग्रवाल ने स्वयं से पहल करते हुए घोषणा की है कि वे भी अब प्रतिदिन नियमित रूप से उपस्थिति पंजीयक में हस्ताक्षर करेंगे।

इसके अतिरिक्त कुलगुरू ने सभी शैक्षणिक विभागाध्यक्षों, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, मुख्य कुलानुशासक एवं परीक्षा नियंत्रक को निर्देशित किया है कि सात दिवस के भीतर अपने विभाग का आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट बनाएं तथा उस पर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर, प्रवेश तिथि, परीक्षा कार्यक्रम एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी नियमित रूप से पोस्ट करें। इन अकाउंट्स का लिंक अनिवार्य रूप से कुलपति सचिवालय को प्रेषित किया जाए, ताकि छात्र-छात्राओं एवं विश्वविद्यालय प्रशासन को समय पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो सके।

प्रो. अग्रवाल ने कहा कि इस पहल से विश्वविद्यालय की कार्य संस्कृति में अनुशासन, पारदर्शिता एवं छात्रों तक सूचनाओं की समयबद्ध पहुँच सुनिश्चित होगी। कुलगुरु ने आज विश्वविद्यालय परिसर स्थित विभिन्न भवनों का पैदल निरीक्षण अव्यवस्थित खड़े वाहनों को निर्धारित पार्किंग में खड़े करने के निर्देश दिए। प्रो. अग्रवाल ने आज विश्वविद्यालय परिसर में संचालित कैंटीन का भी औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खाद्य पदार्थों की एक्सपायरी डेट की जांच की तथा छात्रों से कैंटीन की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कैंटीन परिसर के शौचालय में गंदगी पाए जाने पर कुलगुरु ने कैंटीन संचालक को कड़ी फटकार लगाई और साफ-सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना कैंटीन संचालक की जिम्मेदारी है। कैंटीन संचालन को अधिक सुव्यवस्थित और जिम्मेदारीपूर्वक करने हेतु कुलगुरु ने प्रो. अरविंद पारीक को विश्वविद्यालय कैंटीन का प्रभारी नियुक्त किया है।

एडीए द्वारा लगातार किया जा रहा, राहत एवं बचाव कार्य

- एडीए द्वारा अतिरिक्त वाटर पम्प लगाकर जलभराव निकाला गया। पानी के कटाव वाली जगह पर मिट्टी के कट्टे लगाए गए
- कई निजी संस्थाओं एवं समाजसेवी व्यक्तियों द्वारा भी खाद्य सामग्री वितरण में सहयोग किया गया

अजमेर (कास)। बोराज तालाब की पाल क्षतिग्रस्त होने से प्रभावित नागरिकों के लिए जिला कलेक्टर लोक बन्धु के निर्देशन में अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा व्यापक राहत कार्य संचालित किए गए। प्राधिकरण ने प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक खाद्य सामग्री, पेयजल तथा मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई। अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त नित्या के. ने बताया कि एडीए द्वारा एक दिन में क्षेत्र में सुबह को भोजन पैकेट 600, दूध के 400 पैकेट, ब्रेड पैकेट 400, पानी के कैम्पर 300, शाम को भोजन पैकेट 800, दूध के 400 पैकेट तथा सूखा राशन किट 300 की संख्या में जरूरतमंद व्यक्तियों को वितरित किए गए।

उन्होंने बताया कि एडीए द्वारा अतिरिक्त वाटर पम्प लगाकर जलभराव निकाला गया। पानी के कटाव वाली जगह पर मिट्टी के कट्टे लगाए गए। प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। कई निजी संस्थाओं एवं समाजसेवी व्यक्तियों द्वारा भी खाद्य सामग्री वितरण में सहयोग किया गया। अजमेर विकास प्राधिकरण ने यह सुनिश्चित किया कि प्रभावित नागरिकों तक समय पर भोजन, पानी एवं आवश्यक सुविधाएँ पहुँचें और उन्हें हरसंभव राहत उपलब्ध हो। साथ ही नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है।

छात्रों को मिला विज्ञान का प्रायोगिक ज्ञान

भरतपुर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रारह में स्थापित एस्ट्रो लैब में कक्षा 9 एवं 10 के छात्रों के लिए विज्ञान पर आधारित एक विशेष शैक्षणिक गतिविधि आयोजित की गई। इस अवसर पर वरिष्ठ अध्यापक एवं एस्ट्रो लैब प्रभारी श्री अजय उपाध्याय जी तथा वरिष्ठ विज्ञान अध्यापक श्री सहदेव सिंह जी ने छात्रों को विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों और मॉडलों का प्रयोगात्मक प्रदर्शन कराते हुए विषय की गहन जानकारी प्रदान की।

अवैध शराब तस्करों के विरूद्ध कार्यवाही

ब्यावर (निसं) । जिला पुलिस अधीक्षक रतन सिंह आईपीएस के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेन्द्र शर्मा, आरपीएस एवं वृत्ताधिकारी वृत्त मसूदा सज्जनसिंह आर.पी.एस के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी बिजयनगर मय टीम द्वाराअवैध शराब तस्करों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए एक बोलेरो पिकअप से हरियाणा निर्मित 191 बोतल अंठोजी शराब जब्त कर 02 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए परिवहन में प्रयुक्त वाहन को जब्त किया गया है। गौरतलब है की 08 सितंबर को थानाधिकारी बिजयनगर को मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की बोलेरो पिकअप भिनाय की तरफ से आ रही है।

नेशनल हेण्ड बॉल प्रतियोगिता में सांखला ने जीता गोल्ड

अजमेर (कासं)। राजस्थान महिला कल्याण मंडल द्वारा संचालित मीनू स्कूल, चाचियावास के दिव्यांग छात्र जिशान सांखला ने स्पेशल ओलंपिक भारत के अंतर्गत आयोजित राष्ट्रीय हैण्डबॉल प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 1 से 6 सितंबर 2025 तक तपोवन मनोविकास विद्यालय श्रीगंगानगर में आयोजित की हुई। जिशान ने राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए हैण्डबॉल गेम में भाग लिया और अपने अद्वितीय खेल कौशल के बल पर गोल्ड मेडल और प्रमाण पत्र अर्जित किया।

मीनू स्कूल की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, क्षमा आर कौशिक और निदेशक, राकेश कुमार कौशिक ने जानकारी दी कि इस प्रतियोगता में 19 राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। विद्यालय की ओर खेल कोच हरदयाल सिंह रावत ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया और जिशान की इस बड़ी उपलब्धि तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतियोगिता के समापन में मल्लिका नड्डा अध्यक्ष स्पेशल ओलम्पिक भारत ने शिरकत की।

इस उपलब्धि में विशेष मार्गदर्शन और सहयोग के लिए स्पेशल ओलंपिक भारत राजस्थान के स्टेट डायरेक्टर, डॉ. भगवान सहाय शर्मा और संस्था के सदस्य, तरुण शर्मा, अनुराग सक्सेना, ईश्वर शर्मा और नेमीचंद वैष्णव का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

जिले में 35 युवा क्लबों को खेल सामग्री दी जाएगी

अजमेर(कासं)। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के मेरा युवा भारत अजमेर से संबंधित सभी युवा मंडलों के लिए खेल सामठी का वितरण किया जाना है। जिला युवा अधिकारी जयेश मीना ने बताया कि युवाओं में खेल भावना को प्रोत्साहित करने और उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से जिले में 35 सक्रिय युवा मंडलों को वित्तीय वर्ष 2025-26 में खेल सामठी प्रदान की जाएगी। यह पहल युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार का लक्ष्य युवाओं के लिए एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र बनाना है, जो उन्हें समुदाय के मुद्दों को समझने और रचनात्मक समाधान निकालने में मदद करे। खेल सामग्री के लिए आवेदन करने के इच्छुक मंडलों को सबसे पहले, यह सुनिश्चित करना है कि युवा मण्डल माय भारत पोर्टल पर पंजीकृत हो। जिन युवा मंडलों ने माय भारत अजमेर के कार्यक्रमो में 2024-25 में सक्रिय रूप से भाग लिया होगा उन्हें खेल सामग्री दी जाएगी।

धोखाधड़ी के मामले में 06 साल से फरार आरोपी गिरफ्तार

- बीमा पॉलिसी कर बडी रकम कमाने का झूठा झांसा देकर लाखो रूपये हड़पे
- आरोपियों द्वारा फर्जी बीमा पॉलिसी का झूठा झांसा देकर चैन से चैन बनाकर बारी-बारी से अलग-अलग समय व अलग-अलग किश्तो में लगभग 1.30 करोड हडप कर लिये

ब्यावर (निसं) जिला पुलिस अधीक्षक रतन सिंह आईपीएस के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेन्द्र शर्मा, आरपीएस एवं वृत्ताधिकारी वृत्त मसूदा सज्जनसिंह आर.पी.एस के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी बिजयनगर मय टीम द्वारा 06 वर्षो से फरार फर्जी बीमा पॉलिसी का झूठा झांसा देकर करोडों रूपये की धोखाधडी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है।

गौरतब है की 10.दिसंबर.2019 को न्यायालय एमजेएम बिजयनगर से पुलिस थाना बिजयनगर पर एक इस्तगासा इस आशय की प्राप्त हुई की आरोपियों द्वारा फर्जी बीमा पॉलिसी का झूठा झांसा देकर चैन से चैन बनाकर बारी-बारी से अलग-अलग समय व अलग-अलग किश्तो में लगभग 1.30 करोड हडप कर लिये। जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। घटना को गंभीरता से लेते हुए धना स्तर पर एक विशेष टीम का गठन किया जाकर टीम द्वारा घटना के संबंध में कठीन परिश्रम कर घटना की कडी से कडी जोडते हुए एवं तकनीकी डाटा विश्लेषण के आधार पर गठीत टीम द्वारा जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश) में हर संभावीत स्थानों पर दबीशे दी जाकर 06 साल से फरार आरोपी विकास विश्वकर्मा पुत्र गोविन्द प्रसाद उर्फ मुन्ना, विश्वकर्मा, निवासी मकान नंबर 223 जगदम्बा नगर कोलोनी महाराजपुर जबलपुर जिला जबलपुर, हाल म.नं. सी 24 संस्कार निधि, पुलिस थाना माण्डोताल जबलपुर, जिला जबलपुर (मध्यप्रदेश)को गिरफ्तार करने में पुलिस टीम को सफलता प्राप्त हुई। गिरफ्तार आरोपी से घटना के बारे में गहनता से पूछताछ एवं अनुसंधान जारी है। पुलिस टीम में करण सिंह थानाधिकारी विजयनगर, सीयाराम सहायक उप निरीक्षक, इन्द्र सिंह सहायक उप निरीक्षक,शेरसिंह हैड कानि.और बलवीर सिंह कानि. आदि थे।

कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, अजमेर

क्रमांक-1001 जाहिर आम सूचना दिनांक 08-09-25

राजस्थान आवासन मण्डल आवास संख्या 1-ज-16, आनासागर सरक्यूलर रोड, अजमेर क्षेत्रफल 43.00 वर्ग मीटर मूल आवंटी श्री अशोक पुत्र श्री सेवक राम को आवंटित कर दिनांक 29.05.1980 को आवास का भौतिक कब्जा सौपा गया था। श्री अशोक पुत्र श्री सेवक राम द्वारा जरिये इकरारनामा, मुख्त्यारनामा के आवास का बैचान श्री हीरानन्द पुत्र श्री वीरूमल को कर दिया गया। श्री हीरानन्द पुत्र श्री वीरूमल द्वारा आवास का बैचान श्री रोचीराम पुत्र श्री नवलराय को कर दिया गया। पुनः श्री रोचीराम पुत्र श्री नवलराय द्वारा आवास का बैचान श्रीमती आशा देवी पत्नि श्री गोविन्दराम को कर दिया गया। मण्डल द्वारा श्रीमती आशा देवी पत्नि श्री गोविन्दराम के पक्ष में दिनांक 25.06.2013 को नियमितीकरण के आदेश जारी किये गये। श्रीमती आशा देवी पत्नि श्री गोविन्दराम द्वारा दिनांक 28.06.2013 को उक्त आवास का पंजीयन करवा लिया गया। श्रीमती आशा देवी की मृत्यु दिनांक 04.07.2024 को हो जाने के कारण उनके पति श्री गोविन्द राम कोडवानी पुत्र श्री गनोमल कोडवानी व श्री सुनील कोडवानी पुत्र श्री गोविन्द राम कोडवानी द्वारा मृत्यु पश्चात् आवास हस्तान्तरण हेतु आवास हस्तान्तनरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अब श्री गोविन्द राम कोडवानी व श्री सुनील कोडवानी ने उक्त आवास से संबंधित मृत्यु हस्तान्तरण प्रपत्र प्रस्तुत कर स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। श्री गोविन्द राम कोडवानी व श्री सुनील कोडवानी का नाम मण्डल रिकार्ड में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचाराधीन है।अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विज्ञप्ति के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उज्जरदारी/आपति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पश्चात् कोई आपति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अग्रिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी। -सहायक प्रशासनिक अधिकारी राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-अजमेर

कार्यालय ग्राम पंचायत कालानाड़ा पंचायत समिति अंराई, जिला अजमेर

क्रमांक : ग्रा.पं.कालानाड़ा/निविदा/2025-26/290 दिनांक : 09/9/2025

खुली निविदा सूचना-04/2025-26

ग्राम पंचायत कालानाड़ा वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्राम पंचायत कालानाड़ा कार्य का नाम ग्राम कालानाड़ा में ओपन जिम स्थापना कार्य हेतु Original Equipment Manufacturer/Authorised Delar/Sub-Delar पंजीकृत फर्मो से खुली निविदा आमंत्रित की जाती है-

विस्तृत विवरण http://sppp.rajasthan.gov.in देखा जा सकता है।

NIB NO- ZAJ2526A1128 UBN NO- ZAJ2526GSOB01210

प्रशासक / ग्राम पंचायत कालानाड़ा / पं.स. अंराई(अजमेर)

ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम पंचायत कालानाड़ा / पं.स. अंराई(अजमेर)

होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च

राष्ट्रीय ओलंपियाड कार्यक्रम 2025-2026

खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, जूनियर विज्ञान में

कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक सभी छात्रों को 22 और 23 नवंबर, 2025 को भारतीय भौतिकी शिक्षक संघ (आईएपीटी) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मानक परीक्षा (एनएसई) (विज्ञान विषयों के लिए) में उपस्थित होना होगा।

एनएसई में योग्यता प्राप्त करना 2026 के संबंधित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भाग लेने की दिशा में पहला कदम है।

नामांकन करनाः एनएसईः https://www.iapt.org.in (21 अगस्त 14 सितंबर, 2025)

अधिक जानकारी के लिएः https://olympiads.hbcse.tifr.res.in https://www.iapt.org.in

CBC 48143/12/0807/2526

कार्यालय ग्राम पंचायत झिरोता पंचायत समिति अराई,अजमेर

क्रमांक : ग्रा.पं. झि/2025-26/42 ई-निविदा सूचना संख्या 05/2025-26 दिनांक-04/09/2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत झिरोता के अधीनस्थ ग्रामों में वित्तीय वर्ष 2025-26 में घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण, गांवों की सड़क एवं नाली सफाई कार्य तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई कार्य की सेवाओं हेतु इच्छुक जी.एस.टी. पंजीकृत निविदादाताओं/फर्मो से निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इच्छुक प्रतिष्ठानों से वार्षिक दर संविदा/दर अनुबन्ध करने हेतु निर्धारित प्रपत्र ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया से वेबसाइट http://www.rproc.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित की जाती है। उपरोक्त निविदाएं वेब पोर्टल http:www.sppp.rajasthan.gov.in पर विस्तृत विवरण देखा जा सकता है। निविदाएं निविदा खोलने की दिनांक को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष क्रय समिति द्वारा खोली जाएगी।

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	NIB NO	UBN NO	TENDER Id
	झिरोता	ZAJ2526A1105	ZAJ2526GSLOB1187	2025_PRD_499491_1

ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम पंचायत झिरोता, / पं.स.अराई, जिला अजमेर

प्रशासक / ग्राम पंचायत झिरोता / पं.स.अराई, जिला अजमेर

कार्यालय ग्राम पंचायत बरोल पंचायत समिति अराई,अजमेर

क्रमांक : ग्रा.पं. ब/2025-26/39 ई-निविदा सूचना संख्या 04/2025-26 दिनांक-04/09/2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बरोल के अधीनस्थ ग्रामों में वित्तीय वर्ष 2025-26 में घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण, गांवों की सड़क एवं नाली सफाई कार्य तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई कार्य की सेवाओं हेतु इच्छुक जी.एस.टी. पंजीकृत निविदादाताओं/फर्मो से निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इच्छुक प्रतिष्ठानों से वार्षिक दर संविदा/दर अनुबन्ध करने हेतु निर्धारित प्रपत्र ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया से वेबसाइट http://www.rproc.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित की जाती है। उपरोक्त निविदाएं वेब पोर्टल http:www.sppp.rajasthan.gov.in पर विस्तृत विवरण देखा जा सकता है। निविदाएं निविदा खोलने की दिनांक को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष क्रय समिति द्वारा खोली जाएगी।

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	NIB NO	UBN NO	TENDER Id
	बरोल	ZAJ2526A1107	ZAJ2526GSLOB1189	2025_PRD_499189_1

ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम पंचायत बरोल, / पं.स.अराई, जिला अजमेर

प्रशासक / ग्राम पंचायत बरोल / पं.स.अराई, जिला अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

टोडरमल लेन, सिविल लाईन्स, अजमेर

Web Site - www.urban.rajasthan.gov.in/ada E-Mail - ajmerada@gmail.com Tel. No. - 0145-2627748, 2627749

ई-नीलामी में अमानत राशि जमा एवं बोली दिनांक 09.09.2025 से लगाई जा सकती है। भूखण्डों की ई-नीलामी दिनांक 11.09.2025 से 30.10.2025

15 आवासीय, व्यावसायिक, आवासीय मय व्यावसायिक एव रिसोर्ट भूखण्ड

पूर्ण भुगतान के लिए 180 दिवस का समय, 15 दिवस में पूर्ण राशि जमा कराने पर 2 प्रतिशत की छूट देय है।

52	04	22
दीन दयाल उपाध्याय पुरम (ई-ब्लाक) आवासीय भूखण्ड	दीन दयाल उपाध्याय पुरम (एफ-ब्लाक) आवासीय भूखण्ड	पृथ्वीराज नगर आवासीय भूखण्ड
13	11	04
महाराणा प्रताप नगर आवासीय भूखण्ड	चन्द्रवरदाई नगर आवासीय भूखण्ड	पंचशील नगर आवासीय भूखण्ड
02	05	02
हरिभाउ नगर मुख्य आवासीय भूखण्ड	सूरज कुण्ड रिर्जोट एवं फार्म हाउस व्यवसायिक भूखण्ड	नारेली वेयर हाउस व्यवसायिक भूखण्ड
05	34	03
हरिभाउ नगर मुख्य आवासीय मय व्यवसायिक एवं व्यवसायिक भूखण्ड	ट्रांसपोर्ट नगर शॉप व शो रुम, रिपेयर शॉप एवं व्यवसायिक भूखण्ड	बकरा मण्डी व्यवसायिक भूखण्ड

राज.संवाद/सी/25/9549

भूखण्डों की अधिक जानकारी के लिए कॉल करें:- 6375383362

ऑनलाईन नीलामी के प्रक्रिया के बारे में कॉल करें:- 9571622903/9269681471

टोडरमल लेन, सिविल लाईन्स, अजमेर- 305001